लघु उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 87

लघु उद्योग मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		347.25	52.15	399.40	347.25	51.99	399.24	390.71	51.39	442.10
पूंजी		*15.00*	*...*	*15.00*	*15.00*	*...*	*15.00*	*18.20*	*...*	*18.20*
जोड़		**362.25**	**52.15**	**414.40**	**362.25**	**51.99**	**414.24**	**408.91**	**51.39**	**460.30**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	4.91	4.91	...	4.44	4.44	...	4.61	4.61
लघु उद्योग										
2. लघु उद्योग (लाइब्रेरी सहित) विकास आयुक्त	2851	5.69	8.50	14.19	5.74	8.59	14.33	6.41	8.77	15.18
3. लघु उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को अनुदान	2851	22.50	1.40	23.90	22.50	1.26	23.76	23.80	...	23.80
4. लघु उद्योग स्कीमों का	2851	94.25	37.34	131.59	94.80	37.70	132.50	131.01	38.01	169.02
संवर्धन	3601	3.45	...	3.45	3.40	...	3.40	4.00	...	4.00
	3602	0.20	...	0.20	0.05	...	0.05	0.20	...	0.20
	जोड़	*97.90*	*37.34*	*135.24*	*98.25*	*37.70*	*135.95*	*135.21*	*38.01*	*173.22*
5. सरकारी उद्यमों में निवेश - एन.एस.आई.सी.	4851	13.50	...	13.50	13.50	...	13.50	14.00	...	14.00
6. अन्य स्कीमें	2851	9.25	...	9.25	7.35	...	7.35	5.20	...	5.20
7. ऋण गारंटी स्कीम	2851	176.29	...	176.29	176.29	...	176.29	180.00	...	180.00
8. असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में उद्यमों पर राष्ट्रीय आयोग	2851	...	...	...	1.50	...	1.50	3.00	...	3.00
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं	2552	35.62	...	35.62	35.62	...	35.62	37.09	...	37.09
के लिए एकमुश्त प्रावधान	4552	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	4.20	...	4.20
	जोड़	*37.12*	*...*	*37.12*	*37.12*	*...*	*37.12*	*41.29*	*...*	*41.29*
कुल जोड़		***362.25***	***52.15***	***414.40***	***362.25***	***51.99***	***414.24***	***408.91***	***51.39***	***460.30***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
5.01 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	12851	13.50	62.00	75.50	13.50	62.00	75.50	14.00	62.00	76.00
ग. आयोजना परिव्यय*										
1. ग्राम और लघु उद्योग	12851	328.88	62.00	390.88	328.88	62.00	390.88	370.97	62.00	432.97
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	37.12	...	37.12	37.12	...	37.12	41.29	...	41.29
जोड़		**366.00**	**62.00**	**428.00**	**366.00**	**62.00**	**428.00**	**412.26**	**62.00**	**474.26**
मांग संख्या 101	12851	3.75	...	3.75	3.75	...	3.75	3.35	...	3.35

** इसके अंतर्गत शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की मांगों में प्रदत्त निर्माण कार्य परिव्यय शामिल है।*

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** इसमें लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के लिए स्थापना संबद्ध व्यय की व्यवस्था है।

2. **विकास आयुक्त (पुस्तकालय सहित):** विकास आयुक्त का कार्यालय जिसके प्रधान विकास आयुक्त हैं, देश में लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास की नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण, समन्वयन और अनुवीक्षण करने के लिए एक शीर्षस्थ निकाय है। यह लघु उद्योगों के विकास से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों और अन्य संगठनों से निकट सम्पर्क बनाए रखता है।

यह विशिष्ट प्रकार के उद्योगों के संकेंद्रण वाले क्षेत्रों में 30 लघु उद्योग सेवा संस्थाओं, 28 शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थाओं, 4 प्रादेशिक परीक्षण केंद्रों, 1 उत्पादन केंद्र, 7 क्षेत्रीय परीक्षण केंद्र, एचटीडी एण्ड टीसी, नागपुर के नेटवर्क के माध्यम से लघु उद्योग इकाईयों को व्यापक रूप में सुविधाएं और सेवाएं, यंत्रों की सुविधा, विपणन सहायता आदि प्रदान करता है।

3. **लघु उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड को अनुदान:** एनएसआईसी किराया-खरीद पर मशीनों की आपूर्ति, बाजार संवर्धन, स्वदेशी और आयातित दोनों प्रकार की कच्ची सामग्री की व्यवस्था, प्रोटोटाइप विकास और टर्न-की परियोजनाओं के निर्यात के लिए सामान्य सुविधाओं के माध्यम से लघु उद्योगों के विकास और संवर्धन के लिए उत्तरदायी है।

4. **अन्य लघु उद्योग योजनाएं:** यह मुख्य रूप से केंद्रीय यंत्र डिजाइन संस्थान, हैदराबाद, भुवनेश्वर और कोलकाता स्थित केंद्रीय औजार कक्ष और प्रशिक्षण केंद्रों, लुधियाना स्थित केंद्रीय औजार कक्ष, केंद्रीय हस्त औजार संस्थान, जालंधर, इंदौर, औरंगाबाद और अहमदाबाद स्थित 3 भारत-डैनिश औजार कक्ष, जमशेदपुर स्थित भारत डैनिश औजार कक्ष जैसे विशिष्ट संस्थानों के लिए व्यय प्रदान करता है। यह इलेक्ट्रिक मापन उपकरण डिजाइन संस्थान (आईडीईएमआई), मुम्बई और इलेक्ट्रिक सेवा एवं प्रशिक्षण केंद्र, रामनगर (उ.प्र.), आगरा और चेन्नई स्थित केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान, आगरा और मेरठ स्थित पीपीडीसी, फ्रेगरेंस एण्ड फ्लेवर

डेवलपमेंट सेंटर, कन्नौज और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इण्डस्ट्री, फिरोजाबाद जो तत्संबंधी विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है, के लिए भी व्यय प्रदान करता है। यह एकीकृत आधार ढांचा विकास, सांख्यिकी संग्रहण, सेनेट परियोजना, ट्रीड और सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम, कैड/कैम, परीक्षण केंद्रों आदि जैसी सतत स्कीमों के लिए भी व्यय प्रदान करता है। सांख्यिकी के संग्रहण के लिए राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों सहित लघु उद्योग क्षेत्र को निधियां प्रदान की जाती है।

इसके अलावा यह उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने, निर्यात संभाव्यता बढ़ाने, प्रक्रिया संशोधन करने, ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण आदि के लिए उद्योगों की गुणवत्ता उन्नयन एवं आधुनिकीकरण पर विभिन्न योजनाओं के लिए व्यय प्रदान करता है। आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के तहत कार्यान्वित की गयी विभिन्न योजनाएं (i) आईएसओ-9000 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन योजना, (ii) आईएसओ-9000 पर बोध एवं उत्प्रेरक कार्यक्रम, (iii) यूपीटीईसीएच योजना, (iv) सिडो (एसआईडीओ) कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण, और (v) लघु और मझौले उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋण योजित सब्सिडी आदि हैं।

5. **सरकारी उद्यमों में निवेश:** इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को उनके कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वित्त साधनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इक्विटी और ऋणों के लिए प्रावधान है।

5.01 **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी):** राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना 1955 में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। इसके कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ किराया खरीद आधार पर लघु उद्योग यूनिटों के आयातित और स्वदेशी मशीनों की आपूर्ति करना, कच्चा माल और पुर्जों की आपूर्ति और वितरण, आंतरिक बाजार और विदेशी बाजार प्रौद्योगिकियों का उन्नयन और तकनीकी प्रशिक्षण तथा सामान्य सुविधाएं प्रदान करना है। अनुदान के माध्यम से बजटीय सहायता उनके कार्यों और सेवाओं जो अधिकांशतः संवर्धनशील प्रकृति की हैं, के आंशिक वित्तपोषण तथा पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में इनके कार्यों और सेवाओं को जारी रखने हेतु वैकल्पिक वित्त प्राप्त करने के लिए है।

6. **अन्य स्कीमें:** इसमें व्यापार और निवेश संबंधों के संवर्धन हेतु बृहत संस्थागत सहायता के लिए भारतीय उद्यमों और विदेशी लघु और मझौले उद्यमों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संवर्धन; लघु उद्योग के सर्वेक्षण तथा अध्ययन; ग्राम तथा ग्रामीण उद्योग क्षेत्र; प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भुगतान की व्यवस्था है।

7. **लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना:** इसमें भारतीय ऋण गारंटी निधि स्कीम (सीजीएफएसटी) को योगदान की व्यवस्था है जो बिना संपार्श्विक गारंटी वाली लघु/छोटी लघु उद्योग इकाइयों को ऋण देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को गारंटी कवर प्रदान करेगा। दिनांक 30.09.2004 तक 333.87 करोड़ रूपए के गारंटी कवर के लिए 18720 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए थे।

8. **असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में उद्यमों पर राष्ट्रीय आयोग:** इसमें आयोग और उसके कार्यकलापों के स्थापना संबद्ध व्यय की व्यवस्था है। और इसके लिए वर्ष 2004 के दौरान नए कार्य कलाप बनाए गए हैं।

9. इसमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान रखा गया है।